संख्या37/ 2024/2327/ सत्रह-म-2024-17-1099/55/2021

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तर प्रदेश।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ:दिंनाक : 30दिसम्बर, 2024

विषयः 30प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत मत्स्य पालक/मछुआ परिवारों की महिलाओं को सशक्त करने हेतु माता सुकेता महिला मत्स्य पालक सशक्तीकरण परियोजना से सम्बंधित संशोधित मार्ग- निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-600/नि0शा0/म0पा0क0को0 2024-25 दिनांक 12.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम उ.प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत मत्स्य पालक/मछुआ परिवारों की महिलाओं को सशक्त करने हेतु "माता सुकेता महिला मत्स्य पालक सशक्तीकरण परियोजना" के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-1579/सत्रह-म-2023-17-1099/55/2021 दिनांक 04.11.2023 में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उ.प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत मत्स्य पालक/मछुआ परिवारों की महिलाओं को सशक्त करने हेतु "माता सुकेता महिला मत्स्य पालक सशक्तीकरण परियोजना" के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-1579 /सत्रह-म-2023-17-1099/55/2021 दिनांक 04.11.2023 को युक्तियुक्त संशोधन करते हुए उ.प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष के अन्तर्गत मत्स्य पालक/मछुआ परिवारों की महिलाओं को सशक्त करने हेतु "माता सुकेता महिला मत्स्य पालक सशक्तीकरण परियोजना" के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत व्यवस्था निर्धारित किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

शासनादेश का प्रस्तर संख्या	वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
3	चयन हेतु पात्रताः प्राथमिकता के आधार पर पारंपरिक रूप से मत्स्य पालन/ मत्	चयन हेतु पात्रताः प्राथमिकता के आधार पर पारंप

	स्य व्यवसाय में लगे एवं केज कल्चर की परियोजनान्तर्गत कि सी अन्य योजना से लाभान्वित न हुए मत्स्य पालक/ मछुआ, परम्परागत मत्स्य आखेटक, केवट, मल्लाह, निषाद, विन्द, धीमर , कश्यप, बाथम, रैकवार, माझी, गोड़िया, कह्यर, तुरैह्य/ तुराह्य समुदाय से सम्बन्धित महिला अथवा कोई अन्य महिला, जो एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से मत्स्य पालन या मात्स्यिकी क्रिया कलापों से सक्रिय रूप से जु ड़ी हो तथा उससे अपना जीविकोपार्जन कर रही हो एवं उत्तर प्रदेश की निवासिनी हो , चयन हेतु पात्र होगी।	रिक रूप से मत्स्य पालन/ मत्स्य व्यवसाय में लगे एवं केज कल्चर की परियो जनान्तर्गत किसी अन्य योजना से लाभान्वित न हुए मत्स्य पा लक/ मछुआ, परम्परागत मत्स्य आखेटक, केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, धीमर , कश्यप, व ाथम, रैकवार, माझी, गोड़िया, कह्यर, तुरैह्य/ तुराह्य समुदाय से सम्बन्धित महिला अथवा कोई अन्य महिला, जो ए क वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से मत्स्य पालन या मात्स्यिकी क्रिया कलापों से सक्रिय रूप से जुड़ी हो तथा उससे अपना जीविकोपा र्जन कर रही हो एवं उत्तर प्रदेश की निवासिनी हो, चयन हेतु पात्र ह ोगी। परियोजनान्तर्गत उक्तानुसार परि भाषित वर्ग/ समुदाय की महिला आवेदकों का निम्नलिखित वरीयता क्रम में चयन किया जायेगा: 1-बी.पी.एल./ अन्त्योदय कार्ड धा रक महिला आवेदक - प्रथम वरीयता 2- विधवा महिला आवेदक - द्वितीय वरीयता 3- अन्य महिला आवेदक- तृतीय वरीयता
4.6	वित्तीय वर्ष 2023-24 में महिला सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत कुल 250 केजों की स्थापना पर 60 प्रतिशत की दर से कुल रू0 450.00 लाख के अनुदान कोष के माध्यम से लाभार्थियों को दिया जाना प्रस्तावित है , जिसका विवरण निम्नवत् है	महिला सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत केजों की स्थापना पर 60 प्रतिशत अनुदान धनराशि (प्रति केज निवेश सहित इकाई लागत ₹3.00 लाख

	धनराशि (रू0 लाख में)						पर अनुदान धनराशि ₹ 1.80 लाख) कोष के माध्यम से लाभार्थियों को दिया जायेगा।
	क्र.	योजना का नाम	इकाई लागत प्रति केज स्थापना निवेश सहित	निवेश सहित स्थापित किये जाने वाले केजों की संख्या	कुल परियोजना धनराशि	अनुदान (60 प्रतिशत)	लाभार्थी अंश (40 प्रतिशत)	
	1	माता सुकेता महिला मत्स्य पालक सशक्तीकरण योजना	3.00	250	750.00	450.00	300.00	
7.1	परियोजना के लागू होने से 250 मत्स्य पालक/ मछुआ परिवार की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराते हुए उन्हे सामाजिक एवं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जा सकेगा।							परियोजना लागू होने से मत्स्य पालक/ मछुआ परिवार की अधिक से अधिक महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराते हुए उन्हे सामाजिक एवं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जा सकेगा।

3- शासनादेश दिनांक 04.11.2023 द्वारा मार्ग- निर्देश में संशोधन के सबंध में उक्त नियमावली में अंकित उददेश्य /शर्तो / मानकों के निर्धारण /संचालन आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्राविधानित बजट की सीमान्तर्गत भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए योजना के संचालन पर आने वाला व्यय भार बजट प्राविधान की सीमान्तर्गत रहेगा तथा घटकवार देय धनराशि का सत्यापन घटकों से सबंधित विभाग से कराया जायेगा।

4- यह भी सुनिश्चित किया जाय कि योजना के संचालन में द्विरावृत्ति न हो।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Signed by
"RAVINDER NAIK KHATRAVATH"
Date: 27-12-2024 18:44:22

(रविन्दर नायक)
प्रमुख सचिव।

संख्या-37/2024/2327/ / सत्रह-म-2024 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन/सिंचाई/ग्राम्य विकास/ वित्त/ कृषि/

पंचायतीराज/ संस्थागत वित्त/ कार्मिक / खाद्य एवं प्रसस्करण / राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

3. विशेष कार्याधिकारी,कृषि उत्पादन आयुक्त,उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य कार्यपालक, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद, तेलंगाना ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
9. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, प्रयागराज को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
10. समन्वयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैंक आफ बडौदा उ0प्र0 लखनऊ।
11. समस्त उप निदेशक मत्स्य, उ0प्र0।
12. समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी उ0प्र0।
13. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ अधिशासी निदेशक, मत्स्य पालक विकास अभिकरण उ0प्र0।
14. - गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)
अनु सचिव।